पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 का दीवानी विविध क्षेत्राधिकार संख्या 909

==========

मुरारी प्रसाद पिता- भोला प्रसाद, निवासी- बाबुनिया रोड, थाना एवं डाकघर- सिवान टाउन, जिला-सिवान।

.... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. अवध किशोर प्रसाद पिता- स्वर्गीय भोला प्रसाद, निवासी- बाबुनिया रोड, थाना एवं डाकघर- सिवान टाउन, जिला-सिवान।
2. नंद किशोर प्रसाद पिता- भोला प्रसाद, निवासी- बाबुनिया रोड, थाना एवं डाकघर- सिवान टाउन, जिला-सिवान।
3. सरिता देवी पिता- भोला प्रसाद, निवासी- बाबुनिया रोड, थाना एवं डाकघर- सिवान टाउन, जिला-सिवान।
4. उषा देवी पिता- भोला प्रसाद, निवासी- बाबुनिया रोड, थाना एवं डाकघर- सिवान टाउन, जिला-सिवान।
5. रीता चौरसिया पिता- भोला प्रसाद, निवासी- बाबुनिया रोड, थाना एवं डाकघर- सिवान टाउन, जिला-सिवान।
6. नूतन चौरसिया पिता- भोला प्रसाद, निवासी- बाबुनिया रोड, थाना एवं डाकघर- सिवान टाउन, जिला-सिवान।

.... उत्तरदाता/गण

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री चंद्र कांत, अधिवक्ता

उत्तरदाता संख्या 1 के लिए : श्री योगेश चंद्र वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्रीमती कुमारी अनुपम, अधिवक्ता

==========

याचिका- *उस आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें गवाह के हस्ताक्षर की तुलना किसी अन्य मामले में दाखिल वकालतनामा से करने का अनुरोध किया गया था।*

निर्णय -

- *किसी व्यक्ति के वकालतनामा पर हस्ताक्षर की तुलना के लिए इसे मानक हस्ताक्षर नहीं माना जा सकता। यह ऐसा दस्तावेज़ नहीं है, जिसकी गुणवत्ता निर्विवाद और सटीक हो, और इसके हस्ताक्षर की निश्चितता और प्रमाणिकता की आवश्यकता पूरी नहीं होती।*

- *जब वकालतनामा के हस्ताक्षर पर विवाद या चुनौती हो, तो ऐसे दस्तावेज़ पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है।*

- *इसके अलावा, इस क्षेत्र में वकालतनामा का निष्पादन आम तौर पर एक साधारण प्रक्रिया है, और इस पर किए गए हस्ताक्षर तुलना और निर्विवाद गुणवत्ता के मानक पर खरे नहीं उतरते।*

- *ट्रायल कोर्ट ने वकालतनामा का उपयोग हस्ताक्षर की तुलना के लिए करने से सही रूप से परहेज किया। (पैरा 5)*

- ***याचिका खारिज की जाती है।** (पैरा 6)*

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा
मौखिक निर्णय
तारीखः 09-07-2024

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 1 के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना।

2. यह याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत विद्वान एडीजे 8 वें सीवान द्वारा टाइटल सूट संख्या 03 2013 (प्रोबेट केस संख्या 23/2010) में पारित दिनांक 02.09.2022 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को किसी अन्य मामले में दायर उसके वकालतनामे के साथ गवाह के हस्ताक्षर की तुलना करने के लिए खारिज कर दिया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री चंद्रकांत प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान निचली अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका को अस्वीकार कर गलती की है। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी सं 1 भोला प्रसाद के पुत्र हैं, जिन्हें वसीयत पर गवाह के रूप में दिखाया गया है, जिसे प्रतिवादी सं 1 द्वारा वसीयत के प्रमाणीकरण के लिए मांग की गई थी| व्यक्ति भोला प्रसाद ने पहले अनुसूची 1 की भूमि पर स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमा संख्या 164/2003 दायर किया था और उनके *वकालतनामा* को उक्त मुकदमा संख्या 164/2003 को प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया गया था। याचिकाकर्ता ने वसीयत पर भोला प्रसाद के हस्ताक्षर की तुलना *वकालतनामा* पर भोला प्रसाद के हस्ताक्षर से करने के लिए निचली अदालत में प्रस्तुत किया था जिसे उक्त वाद 164/2003 में प्रदर्श ए दर्शाया गया है। लेकिन विद्वान न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि याचिकाकर्ता की याचिका को *वकालतनामा* की तुलना में भोला प्रसाद के हस्ताक्षर प्राप्त करने की अनुमति देने में कोई बाधा नहीं थी क्योंकि *वकालतनामा* एक संदेह से परे दस्तावेज था क्योंकि भोला प्रसाद ने स्वयं मालिकाना हक का मुकदमा दायर किया था और विद्वान वकील को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था। इसके अलावा, विद्वान विचारण न्यायालय यह देखने के लिए कर्तव्यबद्ध था कि जब वसीयत पर गवाह के हस्ताक्षर को चुनौती दिया जा रहा है तो , इसकी तुलना किसी प्रामाणिक दस्तावेज से करने की आवश्यकता है और इसलिए निचली अदालत को इसे अन्य उपलब्ध दस्तावेजों से तुलना करना चाहिए था। जिस दस्तावेज़ से तुलना की गई थी, वह एक सक्षम अदालत के

समक्ष स्वामित्व मुकदमे का एक प्रदर्श दस्तावेज़ था। इस प्रकार, उक्त दस्तावेज़ को तुलना के उद्देश्य से प्रामाणिक दस्तावेज़ माना जा सकता है क्योंकि भोला प्रसाद ने अपने विद्वान वकील को अपनी ओर से उपस्थित होने के लिए अधिकृत किया था और यह नहीं कहा जा सकता है कि भोला प्रसाद ने *वकालतनामा* पर हस्ताक्षर नहीं किया था। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आगे विचार करना चाहिए था क्योंकि वसीयत पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत है और इसे भोला प्रसाद की मृत्यु के बाद ही जांच के लिए दायर किया गया है और इस प्रकार प्रासंगिक तथ्य को भी ध्यान में नहीं रखा गया है। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि जब हस्ताक्षर की तुलना करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज नहीं है, तो वर्तमान वाद में उपलब्ध दस्तावेज, यानी मुकदमा संख्या 164/2003 में *वकालतनामा*, को वसीयत पर गवाह के रूप में भोला प्रसाद के हस्ताक्षर की तुलना के लिए विचार में लिया जाना चाहिए था। इस प्रकार, विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि निचली अदालत द्वारा पारित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है और इसे दरकिनार कर दिया जाना चाहिए।

4. श्री योगेश चंद्र वर्मा, प्रतिवादी नं. 1 की ओर से पेश वरिष्ठ वकील, दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के दावे का खंडन करता है। विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि जिसपर कथित रूप से हस्ताक्षर है को हस्ताक्षर तुलना के लिए उपयोग किया जाना एक स्वीकृत दस्तावेज नहीं है और इसलिए उक्त उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। *वकालतनामा* पर हस्ताक्षर किसी गवाह के सामने नहीं हुआ था और इसकी

प्रामाणिकता हमेशा संदिग्ध है। *वकालतनामा* पर कथित हस्ताक्षर कई परिस्थितियों में हो सकते हैं और जब प्रतिवादी भोला प्रसाद द्वारा *वकालतनामा* पर हस्ताक्षर को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे दस्तावेजों को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विचार में नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा, विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित दस्तावेज़ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं और यह भी स्पष्ट नहीं है कि *वकालतनामा* दाखिल करने में भोला प्रसाद के हस्ताक्षर किसने देखे थे। याचिकाकर्ता की प्रार्थना को अस्वीकार करने से पहले इन सभी तथ्यों पर विद्वान निचली अदालत द्वारा विचार किया गया है और निचली अदालत द्वारा पारित आदेश में कोई कमी नहीं है और इसलिए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. मैंने पक्षों द्वारा प्रस्तुत निवेदन पर विचारपूर्वक विचार किया है। किसी व्यक्ति के *वकालतनामा* पर हस्ताक्षर को तुलना के लिए सुनिश्चित मानक का हस्ताक्षर नहीं माना जा सकता है यह एक निष्कलंक गुणवत्ता वाला दस्तावेज़ नहीं है और इसमें हस्ताक्षर के बारे में आवश्यक निश्चितता और विश्वास की कमी है। इसके अलावा, जब इसे चुनौती दी जा रही है या विवादित किया जा रहा है, तो उस मामले में ऐसे दस्तावेज़ पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा, *वकालतनामा* पर हस्ताक्षर एक आकस्मिक व्यवसाय है और इस पर हस्ताक्षर को मिलान और निर्विवाद गुणवत्ता के हस्ताक्षर के रूप में नहीं माना जा सकता है। विद्वान विचारण न्यायालय ने भोला प्रसाद के हस्ताक्षर की तुलना के लिए *वकालतनामा* का उपयोग उचित परहेज किया है| हालांकि यह प्रस्तुत किया गया है कि तुलना

के लिए कोई अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं यह समझने में विफल हूं कि *वकालतनामा* के साथ हस्ताक्षर की तुलना पर जोर क्यों दिया जा रहा है, जबकि शपथ पत्र या बयान या इसी तरह के अन्य दस्तावेज *वकालतनामा* की तुलना में बेहतर विश्वसनीयता के साथ उपलब्ध हो सकते हैं । उपरोक्त कारणों से, मेरी राय है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र के भीतर काम किया और एक उचित आदेश पारित किया जिसमें इस न्यायालय से किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इसकी पुष्टि की जाती है ।

6. फलतः, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

डीकेएस/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।